



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 942]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2015/वैशाख 16, 1937

No. 942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2015/VAISAKHA 16, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2015

का.आ. 1200(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ चौदहवां संशोधन नियम, 2015 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की , द्वितीय अनुसूची में,—
 - (क) "श्रम और रोजगार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10 और प्रविष्टि 15 का लोप किया जाएगा;
 - (ख) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 12 की, मद (ii) और मद (iii) का लोप किया जाएगा;
 - (ग) "कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,
 - (i) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,—

"10. सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित व्यापक कौशल विकास।";
 - (ii) प्रविष्टि 13 और उससे संबंधित मदों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उद्यमशीलता विकास के लिए कौशल।";

15. (i) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु कारबार संस्थान, नोएडा ।

(ii) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी ।"।

प्रणव मुखर्जी

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/9/2014-मंत्रि.]

संयुक्ता राय, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2015

S.O. 1200(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fourteenth Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,—
 - (a) under the heading “MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRAM AUR ROZGAR MANTRALAYA)”, entries 10 and 15 shall be omitted;
 - (b) under the heading “MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SUKSHMA LAGHU AUR MADHYAM UDYAM MANTRALAYA)”, in entry 12, items (ii) and (iii) shall be omitted;
 - (c) under the heading “MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (KAUSHAL VIKAS AUR UDYAMSHILTA MANTRALAYA)”,
 - (i) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—
“10. Large scale Skill Development related to Information Technology and computer education.”;
 - (ii) after entry 13 and the items relating thereto, the following entries shall be inserted, namely:—
“14. Skilling for entrepreneurship development for Science and Technology.
15. (i) National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, NOIDA.
(ii) Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati.”.

PRANAB MUKHERJEE

PRESIDENT

[F. No. 1/21/9/2014-Cab.]
SANJUKTA RAY, Director